प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ:: दिनांक 18 मार्च, 2023**

विषय:- जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्टस काम्प्लेक्स एवं झील मनोरंजन की परियोजना हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3710/6-1-1(1197)/2020-21 दिनांक 25.08.2022, पत्र सं0-6767/6-1-1(1197)/2017 दिनांक 15.12.2022 एवं पत्र संख्या-7592/6-1-1(1197)/2020-21 दिनांक 12.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्टस काम्प्लेक्स एवं झील मनोरंजन की परियोजना हेतु चयनित कार्यदायी संस्था कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष अवमुक्त की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	**वित्तीय वर्ष**	**शासनादेश संख्या व दिनाँक**	**प्रशासकीय स्वीकृति**	**अवमुक्त धनराशि**
1.	2018-19	सं0-95/2018/1251/41-2018-24(बजट)/2017 दिनाँक 30.03.2018	4012.00	2500.00
2.	2019-20	सं0-99/2020/795/41-2020-24(बजट)/2017 दिनाँक 06.03.2020		700.00
3.	2020-21	सं0-227/2020/2684/41-2020-24(बजट)/2017 दिनाँक 15.10.2020		500.00
4.	2020-21	सं0-281/2020/911/41-2021-24(बजट)/2017 दिनाँक 24.03.2021		312.00
5.	2021-22	सं0-377/2021/आई/84263/2021/2021/41-1002/547/2019/24 (बजट)/2017 दिनांक 20.07.2021	4475.39 **(संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति)**	--
6.	2021-22	सं0-383/2021/41-2021/1841/2021/24(बजट)/2017 दिनाँक 05.08.2021		78.10
7.	2021-22	सं0-164/2022/732/41-2022/24(बजट)/2017 दिनाँक 26.03.2022		100.00
		कुल योग		**4190.10**

3. तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 25.08.2022, दिनांक 15.12.2022 एवं दिनांक 12.01.2023 द्वारा जनपद गोरखपुर के रामगढ ताल में निर्माणाधीन वॉटर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स की योजना के संचालन हेतु अन्य कार्यो से संबंधित पुनरीक्षित आगणन रू0-4919.88 लाख का वर्क डन एण्ड वर्क टू बी डन के आधार पर गठित कराकर उपलब्ध कराते हुए संशोधित/पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 03.10.2022 में उक्त पुनरीक्षित आगणन रू0- 4919.88 लाख का परीक्षण/मूल्यांकन कराने के उपरान्त पुनरीक्षित लागत रू0 4934.72 (जी0एस0टी0 सम्पादित कार्यो पर 12 प्रतिशत एवं अवशेष कार्यो पर 18 प्रतिशत) लाख संस्तुत की गई।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. उपर्युक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत चालू प्रायोजना के पुन: पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित प्रायोजना लागत रू0 4934.72 लाख (जी0एस0टी0 सम्पादित कार्यो पर 12 प्रतिशत एवं अवशेष कार्यो पर 18 प्रतिशत) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 30.03.2018, 06.03.2020, 15.10.2020, 24.03.2021, 20.07.2021, 05.08.2021 एवं 26.03.2022 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रकिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रकिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017 दिनांक 12.05.2017 में निहित शर्तो एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) व्यय वित्त (आय-व्ययक), उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021, वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च 2022, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/ 2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022 दिनांक 04 नवम्बर, 2022 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) प्रायोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा।

(10) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(11) परियोजना को निश्चित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराए जाने की जिम्मेदारी पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-399/दस-2023 दिनांक 14 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर।
9. मुख्य अभियन्ता, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम गोरखपुर।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।